246

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

II/निगरानी/रीवा/भू0रा0/2017/6097

श्री राजनारायण तनय स्व0 श्री रामअनुग्रह ब्रा0 उम्र 75 साल पेशा खेती निबासी ग्राम भदैयां थाना व तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 .... आवेदक

वनाम

1श्री रामशिरोमणि तनय रामलाल ब्रा0 उम्र 56 साल पेसा खेती निवासी ग्राम भदैयां थाना व तह0 मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0।

2 श्री रामनारायण तनय हीरालाल ब्रा0 उम्र 62 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भदैया थाना व तह0 मऊगंज ....अनावेदकगण

द्वारा आज दि0 14-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक ... दिनांक 22-12-17
14-12-17
राजस्व मण्डल

निगरानी बिरूद्व निर्णय व पारित आदेश अनुबिभागीय अधिकारी महोदय मऊगंज आर्डर दि0 1/11/2017 जो अपील प्रकरण क0 152/ अ 6/09-010 मे पारित किया गया है अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 स0 1959

मान्यवर

आवेदन पत्र के आघार निम्न है

1 यह कि निर्णय व आदेस अधीनस्थ न्यायालय का अनियमित त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2 यह कि अधीनस्त न्यायालय ने दिनांक 26-4-2017 को अनावेदक क0 2 की उपस्थिती व मूल प्रकरण की तलवी किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाकर पेशी दि0 21-6-2017 को नियत की गई उसके वाद पेसियां चलती रहीं तथा प्रति0 2 की तलवी नही हुई और न ही अधीनस्त न्यायालय का प्रकरण ही तलव हुआ उसके बाद अधीनस्त न्यायालय ने अपने पूर्वाअधिकारी के आदेश का पालन किये बिना ही यानी उत्तरवादी क0 2 व मूल प्रकरण तलव किये बिना ही दि0 1-11-2017 को अन्तिम तर्क हेतु प्रकरण नियत कर दिया इस प्रकार अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिधि प्रकिया के प्रतिकूल अनियमित त्रुटि पूर्ण होने निरस्त किये जाने योग्य है ।

3 यह कि अधिनस्त न्यायालय यदि अन्तिम आदेश अनावेदक क0 2 को सूचना दिये बिना आदेश पारित कर देती है तो वह बिधि के बिरूद्व होगा और उससे पक्षकारो के मध्य मुकदमेवाजी वढ़ेगी ... तथा वह आदेश प्राकृतिक न्याय के बिरूद्व होगा जिससे

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6097

श्री राजनारायण विरूद्ध श्री रामशिरोमणि व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-02-2019	आवेदक की ओर से श्री एस.के. चतुर्वेदी एवं श्री आई. पी. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 152/अ-6/2009-10 में आदेश दिनांक 01-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 22/2/19 सदस्य	